अनुदान संख्या 105 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 105 – MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	18584,00,00	18584,03,00	17036,80,82	-1547,22,18
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1531,12,11

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251” सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head “2251” Secretariat - Social Services				
मू.	O.	2460.00	2211.79	2208.14	-3.65
पु.	R.	-248.21			
मुख्य शीर्ष “2235” सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head “2235” Social Security and Welfare				
मू.	O.	69820.00	44368.16	44211.60	-156.56
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-254,54.84			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2236" पोषण	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	24632.00	8839.32	7389.45	-1449.87
पु.	R.	-15792.68			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	185000.00	..	..	..
पु.	R.	- 185000.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1559419.00	1631120.08	1631120.09	+0.01
पु.	R.	71701.08			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	17069.00	18751.54	18751.54	..
पु.	R.	1682.54			

(I) ₹198695.00 लाख का प्रावधान इक्यावन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹197500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹198695.00 lakhs remained wholly unutilized under fifty one heads; of these ₹197500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिलाओं का कल्याण" -

(क) "महिला हेल्पलाइन" - ₹200.00 लाख स्कीम शुरू किए जाने की स्थिति में होने के कारण थे।

(ख) "राष्ट्रीय महिला ऋण निधि" - ₹9000.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "समाज कल्याण - महिला कल्याण" -

(i) "राष्ट्रीय महिला ऋण निधि" - ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी का पुनर्गठन किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता" - ₹250.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय महिला आयोग" - ₹110.00 लाख;

(iv) "केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड" - ₹400.00 लाख;

(v) "स्वाधार" - ₹1000.00 लाख;

(vi) "महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार को रोकने के लिए व्यापक स्कीम" - ₹120.00 लाख;

(vii) "बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास" - ₹200.00 लाख;

(A) Major Head "2235"– "Social Welfare - Women's Welfare"-

(a) "Women's Helpline"- ₹200.00 lakhs- due to the scheme being under formulation stage.

(b) "National Credit Fund for Women (RMK)"- ₹9000.00 lakhs; and

(B) Major Head "2552"-

(a) "Social Welfare – Women's Welfare"-

(i) "National Credit Fund for Women (RMK)"- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to restructuring of Non-Banking Financial Company.

(ii) "Support to Training and Employment Programme (STEP)" - ₹250.00 lakhs;

(iii) "National Commission for Women (NCW)" – ₹110.00 lakhs;

(iv) "Central Social Welfare Board (CSWB)"- ₹400.00 lakhs;

(v) "Swadhar"- ₹1000.00 lakhs;

(vi) "Comprehensive Scheme for combating of trafficking of Women and Children"- ₹120.00 lakhs;

(vii) "Relief to and Rehabilitation of Rape Victims"- ₹200.00 lakhs;

(viii) "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग (पूर्व सशर्त मातृत्व हित योजना)" - ₹4300.00 लाख;

(ix) "राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन" - ₹250.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण - बाल कल्याण" -

(i) "कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम" - ₹1100.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान" - ₹120.00 लाख;

(iii) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - ₹66720.00 लाख;

(iv) "एकीकृत बाल सुरक्षा योजना" - ₹4000.00 लाख;

(v) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" - ₹6100.00 लाख;

(vi) "राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग" - ₹120.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(i) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - ₹6880.00 लाख;

(ii) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" - ₹1400.00 लाख;

(viii) "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) (erstwhile Conditional Maternity Benefit Scheme (CMBS)"- ₹4300.00 lakhs;

(ix) "National Mission for Empowerment of Women (NMEW)"- ₹250.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Child Welfare"-

(i) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers"- ₹1100.00 lakhs;

(ii) "National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)"- ₹120.00 lakhs;

(iii) "Integrated Child Development Services"- ₹66720.00 lakhs;

(iv) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)"- ₹4000.00 lakhs;

(v) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)"– ₹6100.00 lakhs;

(vi) "National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)"- ₹120.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Integrated Child Development Services (ICDS)"- ₹6880.00 lakhs;

(ii) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)"- ₹1400.00 lakhs;

(iii) "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना" - ₹900.00 लाख; और

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - ₹86400.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) "समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जन शिक्षा और प्रकाशन" - ₹480.00 लाख; और

(च) "सामान्य (पोषण) - पोषण शिक्षा और विस्तार - राष्ट्रीय पोषण मिशन" - ₹2500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत मातृ और बाल कुपोषण के लिए बहु क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - महिला कल्याण" -

(क) "बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास" - ₹1750.00 लाख;

(ख) "घरेलू हिंसा से महिला की रक्षा अधिनियम को लागू करना" - ₹1800.00 लाख; और

(ग) "वन स्टाप क्राइसिस सेंटर" - ₹400.00 लाख;

(iii) "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna (IGMSY)"- ₹900.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub Plan – Integrated Child Development Services (ICDS)"- ₹86400.00 lakhs.

Provisions under the above eighteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "Social Welfare – Other Expenditure – Information, Mass Education and Publication"- ₹480.00 lakhs; and

(f) "General (Nutrition) – Nutrition Education and Extension - National Nutrition Mission (NNM)"- ₹2500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-taking off of multi-sectoral programme for maternal and child malnutrition.

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Women's Welfare"-

(a) "Relief to and Rehabilitation of Rape Victims"- ₹1750.00 lakhs;

(b) "Implementation of Protection of Women from Domestic Violence Act"- ₹1800.00 lakhs; and

(c) "One Stop Crisis Centre"- ₹400.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्वतंत्र स्कीम के रूप में और महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए स्कीम के घटक के रूप में संचालित किए जाने की वजह से स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-approval of the scheme as an independent scheme and being operated as a component of scheme for protection and empowerment of women.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - महिला और बाल विकास मंत्रालय" के अंतर्गत ₹251.86 लाख की बचत (₹2460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे और कंप्यूटरों के सहायक उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Women and Child Development" – saving of ₹251.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2460.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less procurement of computer accessories.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2235"– "Social Welfare"- savings occurred under the following heads:-

(का) "बाल कल्याण" -

(क) "एकीकृत बाल कल्याण सेवाएं" - ₹1063.91 लाख की बचत (₹3584.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंगनबाड़ी कामगारों को अवार्ड के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और भारतीय जीवन बीमा निगम से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "विश्व बैंक आई.सी.डी.एस परियोजना IV" - ₹1331.06 लाख की बचत (₹1479.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) "केंद्रीय अंगीकार स्रोत एजेंसी" - ₹326.17 लाख की बचत (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग" - ₹241.92 लाख की बचत (₹1080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Child Welfare"-

(a) "Integrated Child Development Services (ICDS)" – saving of ₹1063.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3584.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards award to Anganwadi workers and receipt of less demand from Life Insurance Corporation of India.

(b) "World Bank I.C.D.S. Project IV" - saving of ₹1331.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1479.00 lakhs) was due to delay in finalization of the scheme.

(c) "Central Adoption Resource Agency (CARA)"- saving of ₹326.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs); and

(d) "National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)"- saving of ₹241.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1080.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from North Eastern States.

(ङ) "एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम" - ₹4804.26 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(e) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – saving of ₹4804.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to delay in submission of project proposals by State Governments and availability of unspent balance of the previous year.

(च) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" - ₹589.43 लाख की बचत (₹720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(f) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)" -saving of ₹589.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(खा) "महिला कल्याण" -

(B) "Women's Welfare"-

(क) "महिलाओं के लिए शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रम" - ₹550.00 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मानकों में संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(a) "Condensed Courses of Education for Women"- saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to revision of norms of the scheme.

(ख) "कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल" - ₹170.16 लाख की बचत (₹898.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Hostels for Working Women (WWH)"- saving of ₹170.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹898.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from the State Governments.

(ग) "जागरुकता पैदा करने वाली परियोजनाएं" - ₹351.13 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मानकों में संशोधन किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Awareness Generation Programme (AGP)"- saving of ₹351.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to revision of norms of the scheme.

(घ) "प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता" - ₹866.71 लाख की बचत (₹1750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का नवीकरण किए जाने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "Support to Training and Employment Programme (STEP)"- saving of ₹866.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to revamping of the scheme.

(ङ) "स्वाधार" - ₹3776.79 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्र स्कीम के रूप में स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए स्कीम का संघटक के रूप में संचालित किए जाने के कारण हुई।

(e) "Swadhar"- saving of ₹3776.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme as an independent scheme and being operated as a component of scheme for Protection and Empowerment of women.

(च) "महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार को रोकने के लिए व्यापक स्कीम" - ₹342.98 लाख की बचत (₹1080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की धीमी गति होने की वजह से बजटीय आवंटन में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(f) "Comprehensive Scheme for combating Trafficking of Women and Children"- saving of ₹342.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1080.00 lakhs) was due to reduction in budgetary allocation owing to slow progress of scheme.

(छ) "प्रियदर्शनी" - ₹338.72 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में नाबार्ड द्वारा स्टार्ट अप चुनौतियों का सामना किए जाने के कारण हुई।

(g) "Priyadarshini"- saving of ₹338.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to startup challenges faced by NABARD in implementing the programme.

(ज) "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (पूर्व सशर्त मातृत्व लाभ योजना)" - ₹557.83 लाख की बचत (₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(h) "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) (erstwhile Conditional Maternity Benefit Scheme (CMBS))" - saving of ₹557.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(झ) “राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन” - ₹494.71 लाख की बचत (₹1180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार द्वारा नई स्कीम शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(i) “National Mission for Empowerment of Women (NMEW)”- saving of ₹494.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1180.00 lakhs) was due to delay in picking up of the new scheme by the State Governments.

(गा) “अन्य व्यय” -

(C) “Other Expenditure”-

(क) “सूचना जन शिक्षा और प्रकाशन” - ₹1545.53 लाख की बचत (₹4520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्रियाकलापों का निष्पादन न किए जाने और मीडिया योजना को अनुमोदन दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(a) “Information, Mass Education and Publication” – saving of ₹1545.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4520.00 lakhs) was due to non-execution of activities and delay in approval of media plan.

(ख) “विविध स्कीमें” - ₹236.62 लाख की बचत (₹271.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Miscellaneous Schemes”- saving of ₹236.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹271.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposal from implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष “2236” - “सामान्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head “2236”- “General”- savings occurred under the following heads:-

(का) “पोषण शिक्षा और विस्तार - पोषण में एकीकृत शिक्षा” - ₹271.80 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदन दिए जाने और स्कीम शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) “Nutrition Education and Extension- Integrated Education in Nutrition (IEN)”- saving of ₹271.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to delay in approval and launching of the scheme.

(खा) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय पोषण मिशन” - ₹16928.81 लाख की बचत (₹22498.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मातृ और बाल कुपोषण के लिए बहु-सेक्टोरियल कार्यक्रम शुरू न किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(B) “Other Expenditure - National Nutrition Mission (NNM)”- saving of ₹16928.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22498.00 lakhs) was due to non-taking off of multi-sectoral programme for maternal and child malnutrition and non-filling up of vacant posts.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "समाज कल्याण - महिला कल्याण" -

(क) "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (पूर्व सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम)" - ₹31005.50 लाख की बचत (₹37660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन" - ₹681.72 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नई स्कीम शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "समाज कल्याण - बाल कल्याण" -

(क) "विश्व बैंक आईसीडीएस परियोजना IV" - ₹2315.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "विश्व बैंक आईसीडीएस परियोजना IV (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक)" - ₹5842.00 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

(ग) "एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम" - ₹5593.82 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Social Welfare – Women's Welfare":-

(a) "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) erstwhile Conditional Maternity Benefit Scheme (CMBS)" - saving of ₹31005.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37660.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(b) "National Mission for Empowerment of Women (NMEW)"- saving of ₹681.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in picking up of the new scheme by the State Governments.

(B) "Social Welfare – Child Welfare"-

(a) "World Bank ICDS Project IV"- saving of ₹2315.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(b) "World Bank ICDS Project IV (Externally Aided Component)"- saving of ₹5842.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in finalization of the scheme.

(c) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)"- saving of ₹5593.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to delay in submission of project proposals by the State Governments and availability of unspent balance of previous year.

(घ) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹14935.00 लाख की बचत (₹53360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- saving of ₹14935.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53360.00 lakhs);

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹1110.00 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- saving of ₹1110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs);

(ख) “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (पूर्व सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम)” - ₹6377.39 लाख की बचत (₹7900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) (erstwhile Conditional Maternity Benefit Scheme (CMBS)”- saving of ₹6377.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7900.00 lakhs);

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head “3602”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”- savings occurred under the following heads:-

(का) “समाज कल्याण - महिला कल्याण - इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (पूर्व सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम)” - ₹453.53 लाख की बचत (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Social Welfare – Women’s Welfare – Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) (erstwhile Conditional Maternity Benefit Scheme (CMBS)”- saving of ₹453.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs);

(खा) “समाज कल्याण - बाल कल्याण - राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम” - ₹386.60 लाख की बचत (₹820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) “Social Welfare - Child Welfare - Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”-saving of ₹386.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹820.00 lakhs);

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes-

(क) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" - ₹116.32 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "समाज कल्याण - महिला कल्याण" - ₹198.86 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹66.36 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹942.19 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "बाल कल्याण - बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम" - ₹660.92 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹659.93 लाख था।

(खा) "महिला कल्याण - राष्ट्रीय महिला आयोग" - ₹281.27 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹280.27 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - बाल कल्याण - कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम" - ₹700.02 लाख का अधिक व्यय (₹9900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls"- saving of ₹116.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs); and

(b) "Social Welfare – Women's Welfare"- saving of ₹198.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(VII) Under one head saving of ₹66.36 lakhs occurred constituting 66 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹942.19 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under Major Head "2235"- "Social Welfare"- under the following heads:-

(A) "Child Welfare - Conditional Cash Transfer Scheme for the Girl Child with insurance cover"- ₹660.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹659.93 lakhs.

(B) "Women's Welfare – National Commission for Women (NCW)"- ₹281.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹280.27 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2235"- "Social Welfare - Child Welfare - Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers" - excess of ₹700.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9900.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹65386.77 लाख का अधिक व्यय (₹1005260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹6179.33 लाख का अधिक व्यय (₹337613.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ग) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना - समाज कल्याण - बाल कल्याण” - ₹71948.42 लाख का अधिक व्यय (₹64573.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “समाज कल्याण - बाल कल्याण” -

(i) “एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹2215.35 लाख का अधिक व्यय (₹10736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम” - ₹243.98 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) Major Head “3601”–“Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Development Services (ICDS)”- excess of ₹65386.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1005260.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Child Development Services (ICDS)”- excess of ₹6179.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹337613.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan – Social Welfare – Child Welfare”- excess of ₹71948.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64573.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head “3602”– “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Social Welfare–Child Welfare”–

(i) “Integrated Child Development Services (ICDS)”- excess of ₹2215.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10736.00 lakhs);

(ii) “Integrated Child Protection Scheme (ICPS)”- excess of ₹243.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹698.52 लाख का अधिक व्यय (₹2507.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्कीमों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Integrated Child Development Services (ICDS)”- excess of ₹698.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2507.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards committed liabilities for implementation of the schemes.